



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 06 जनवरी, 2010 ई0

पौष 16, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 15/XXXVI(3)/2010/90(1)/2009

देहरादून, 06 जनवरी, 2010

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) (संशोधन) विधेयक, 2009’ पर दिनांक 05 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2010 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973)

(संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2010)

(भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 का उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम की
धारा 39 का
निरसन

2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 39 उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में एतद्वारा निरसित की जाती है।

निरसन और
अपवाद

3. ऐसे निरसन के होते हुए भी मूल अधिनियम की उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

No. 15/XXXVI(3)/2010/90(1)/2009
Dated Dehradun, January 06, 2010

NOTIFICATION
Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973) (Amendment) Bill, 2009' (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 07 of 2010) :--

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 05th January, 2010.

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND
DEVELOPMENT ACT, 1973) (AMENDMENT) ACT, 2009

(UTTARAKHAND ACT No. 07 OF 2010)

(Promulgated by the Governor in the Sixtieth year of the Republic of India)

Further to amend the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973) Adaptation and Modification Order, 2006 in its applicability to the State of Uttarakhand

AN

ACT

Be it enacted in the Sixtieth Year of the Republic of India by the Uttarakhand Legislative Assembly as follows :--

Short Title and
Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Urban Planning & Development Act, 1973) (Amendment) Act, 2009.

(2) It shall come into force at once.

Repeal of
Section 39 of
the Principal Act

2. In Section 39 of the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Urban Planning & Development Act, 1973) Adaptation and Modification Order, 2006 hereinafter referred to as principal Act, is hereby repealed in relation to the State of Uttarakhand.

Repealed and
Saving

3. Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions or this Act were in force at the all material times.

By Order,

RAM DATT PALIWAL,
Secretary.